पत्रांक–14 / डी0एल0ए0 / मार्गदर्शन–06 / 2023–.....1708...... / रा0,

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:–16/10/25

विषयः– लोकहित की विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्यन्तर्गत लोकहत की विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जानेवाली भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संबंधित अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलाक में भू–अर्जन अधिनियम,2013 के प्रावधानों के तहत की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिहार भू–अर्जन नियमावली एवं कतिपय संकल्प, अधिसूचना, परिपत्र एवं पत्र भी विभाग द्वारा निर्गत एवं संसूचित किये गये हैं।

2– इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0–521, दिनांक–28.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि संबंधित जिले के समाहर्त्ता को भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के निमित अधिकतम रकवा–50.00 (पचास) एकड़ तक के लिए समुचित सरकार अधिसूचित किया गया है तथा 50.00 एकड़ से ज्यादा भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार (राजस्व विभाग) के स्तर से धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) एवं धारा–19(1) के तहत (अधिघोषणा) निर्गत किये जाने का प्रस्ताव संबंधित जिलों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

3– भू–अर्जन अधिनियम,2013 के तहत विभिन्न जिलों यथा–नवादा, भागलपुर, लखीसराय, गया एवं सारण द्वारा वर्तमान में कतिपय परियोजनाओं हेतु प्रारंभिक अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव की जांच के क्रम में त्रुटियॉ पाई गई हैं। उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित जिलों से पत्राचार किया गया एवं कतिपय निदेश भी दिये गये। तथापि जिलों द्वारा त्रुटियों का परिमार्जन न कर उनका पुनरावृत्ति किया जा रहा है। परिलक्षित कतिपय त्रुटियॉ निम्नवत हैः–

(क) धारा–11(1) के तहत (प्रारंभिक अधिसूचना) के प्रस्ताव प्रारूप में अधिग्रहित भूमि का संबंधित रैयत का रकवा का उल्लेख नहीं होना।

(ख) प्रारंभिक अधिसूचना में प्रकाशित रकवा से अधिक रकवा अधिघोषणा प्रस्ताव/प्रारूप में शामिल करना।

(ग) अर्जनाधीन भूमि के स्वामित्व के प्रकार/वर्गीकरण में अस्पष्टता की स्थिति होना अर्थात भूमि की प्रकृति सरकारी होना एवं उक्त के रैयत के नाम की प्रविष्टि होना।

(घ) अधिसूचना/अधिघोषणा में अधिग्रहित की जानेवाली भूमि का खाता/खेसरा का जमाबंदी/खतियान से अलग अंकित होना।

(ड़) रैयत के नाम में भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होना।

4— उक्त से स्पष्ट है कि जिला भू—अर्जन कार्यालयों द्वारा विभाग स्तर से निर्गत दिशा—निदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इस हेतु सतत् रूप से विभिन्न विभागीय परिपत्रों से राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किये जाने का निदेश दिया गया है। यथा—पत्रांक—48 दिनांक—15.01.2025 एवं पत्रांक—897 दिनांक—12.06.2025 द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेखों को अद्यतन किये जाने एवं उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की खतियान/राजस्व अभिलेख इत्यादि से जांच एवं मिलान कर त्रुटि रहित प्रस्ताव गठित करने का निदेश संसूचित है।

5— लोकहित की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को त्रुटिरहित एवं समय पर पूर्ण करने हेतु भू—अर्जन अधिनियम,2013 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्रावधान की संक्षिप्त विवरणी एवं भू—अर्जन की कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रम को पूर्ण करने के निमित जांच—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, जिसके अनुपालन से भू—अर्जन की कार्रवाई में चूक की संभावना को शून्य/नगण्य किया जा सकता है।

6— उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाय।

अनु0:— 1— भू—अर्जन अधिनियम,2013 के तहत कार्रवाई के विभिन्न प्रक्रम (कुल—16 पृष्ठ)
2— जांच पत्रक (कुल—06 पृष्ठ)।
3— भू—अर्जन अधिनियम,2013 की संक्षिप्त विवरणी।

विश्वासभाजन,
15/10/25
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक—1708/रा0, पटना, दिनांक—16/10/25

प्रतिलिपिः—सभी जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/25
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक—1708/रा0, पटना, दिनांक—16/10/25

प्रतिलिपिः—विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु प्रेषित।

15/10/25
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

D:\Rohits\2025\Rahul\Letters - Policy.docx

(जांच–पत्रकः–1)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु जांच–पत्रकः–1

(1) भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–2 एवं बिहार भू–अर्जन नियमावली के नियम–3(i) के तहत प्राप्त अधियाचना की जांच हेतु जांच प्रत्रकः–

क्र0	दस्तावेज / कागजात	प्राप्त / अप्राप्त	अभ्युक्ति
(i)	बिहार भू–अर्जन नियमावली,2014 से परिचालित **प्रपत्र–I** (**परिशिष्ट–I से V तक**) में अध्यपेक्षा।		
(ii)	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।		
(iii)	परियोजना का स्वीकृति पत्र।		
(iv)	परियोजना की अनुमानित लागत एवं उसका प्रशासनिक स्वीकृति पत्र।		
(v)	प्रभावित क्षेत्रों के मार्गरेखन को दर्शानेवाला ग्राम मानचित्र / मानचित्रों (सर्वे मानचित्रों) की तीन प्रतियाँ।		
(vi)	अर्जित की जानेवाली भूमि के खतियान की प्रमाणित प्रतियाँ।		
(vii)	यह सूचना कि क्या भूमि सिंचित, बहुफसली और / अथवा कृषि भूमि है, यदि यह सिंचित बहुफसली भूमि है तो क्या यह धारा 10 के परन्तुक के अधीन आच्छादित है; यदि नहीं, तो भूमि को अर्जित करने के लिए प्रदर्शनीय विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं।		
(viii)	धारा–10 के अनुपालन में राजस्व एवं कृषि पदाधिकारी का दल का गठन एवं उसके प्रतिवेदन की स्थिति–		
(ix)	समाहर्ता द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज या सूचना–		
(x)	समाहर्ता का समाधान– सामान्य / आपात प्रकियान्तर्गत।		

142

(जांच–पत्रकः–2)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु जांच–पत्रकः–2

(2) प्राप्त अधियाचना के आलोक में प्रारंभिक अधिसूचना–(प्रपत्र–vi) के प्रकाशन के पूर्व कृत कार्रवाई की स्थितिः–

क्र0	कार्रवाई की स्थिति	हाँ/नहीं, प्राप्त/अप्राप्त की स्थिति (तिथि सहित)	अभ्युक्ति
(i)	अधियाचना की जांच कर ली गई है एवं सभी सुसंगत कागजात/दस्तावेज प्राप्त है।		
(ii)	जांच पत्रक–1 पूर्ण रूप से भर लिया गया है।		
(iii)	एस0आइ0ए0 की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है।		

एस0आइ0ए0 की कार्रवाई की स्थितिः–

क्र0	दस्तावेज/कागजात	हाँ/नहीं, प्राप्त/अप्राप्त की स्थिति (तिथि सहित)	अभ्युक्ति
क	SIA की अधिसूचना (प्रपत्र –ii) "क" एवं "ख" में निर्गत है। निर्गत की तिथि		
ख	ड्राफ्ट प्रतिवेदन का प्रकाशन तिथि–		
ग	जनसुनवाई की तिथि–		
घ	अंतिम प्रतिवेदन का प्रकाशन/प्राप्ति तिथि–		
ड़	विशेषज्ञ समूह का मंतव्य/अनुशंसा (प्रपत्र–iv में) –		
च	भू–धारक/ग्राम सभा की सहमति –प्राप्त/अप्राप्त (प्रपत्र–v 'क' एवं 'ख' में)		
(iii)	संबंधित मौजा के अर्जनाधीन भूमि के संबंध में MVR (बाजार मूल्य) के अद्यतनीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।		
(iv)	परियोजना अन्तर्गत आने वाले सभी संबंधित मौजा/मौजों के अर्जनाधीन भूमि की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।		
(v)	परियोजना अन्तर्गत आने वाले सभी संबंधित मौजा/मौजों के सरकारी भूमि की पहचान कर ली गई है एवं उसे अर्जन की कार्रवाई से अलग कर लिया गया है।		
(vi)	परियोजना अन्तर्गत आने वाले सभी संबंधित मौजा/मौजों के अर्जनाधीन भूमि की खेसरा पंजी तैयार कर ली गई है।		

(१४)

(जांच–पत्रक:–3)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु जांच–पत्रक:–3

(3) अधिघोषणा का प्रकाशन – (प्रपत्र–vii) के प्रकाशन के पूर्व कृत कार्रवाई

क्र0	दस्तावेज/कागजात	हां/लागू नहीं	अभ्युक्ति
(i)	जांच पत्रक–1 एवं 2 पूर्ण रूप से भर लिया गया है।		
(ii)	एस0आइ0ए0 की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है।		
(iii)	प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन कर लिया गया है।		
(iv)	प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए राजस्व अभिलेख का अद्यतनीकरण कर लिया गया है।		
(v)	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्वीकृति प्राप्त है एवं उक्त का प्रकाशन कर लिया गया है। यथा–		
क	ड्राफ्ट प्रतिवेदन का प्रकाशन–		
ख	प्राप्त आवेदन/आपत्ति पर कृत कार्रवाई की स्थिति–		
ग	सुनवाई पूर्ण एवं अंतिम प्रतिवेदन का प्रकाशन		
(v)	पूर्ण लागत राशि की उपलब्धता की स्थिति		

(जांच–पत्रकः–4)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु जांच–पत्रकः–4

(4) (i) जांच पत्रक–1, 2 एवं 3 पूर्ण रूप से भर लियां गया है।

(ii) दर की स्वीकृति/प्राक्कलन की स्वीकृति (दर प्रतिवेदन) :– दर एवं प्राक्कलन की स्वीकृति राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–746/रा0, दिनांक–28.05.2014 से परिचालित प्रपत्रों (प्रपत्र–iv से vii तक) में वांछित सूचनाओं को अंकित करते हुए किया गया है।

(अधिनियम की धारा–26 में वर्णित तथ्यों के आलोक में दर की स्वीकृति MVR एवं संबंधित मौजा के समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेजों (अधिसूचना की प्रकाशन से 03 वर्ष पूर्व तक) के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर)।

(iii) सभी हितबद्ध रैयतों को नोटिस (धारा–21 के तहत) निर्गत कर तामिला करा दिया गया है:– हां/नहीं/लागू नहीं।

(जांच–पत्रकः–5)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु जांच–पत्रकः–5

(5) (i) जांच पत्रक–1, 2, 3 एवं 4 पूर्ण रूप से भर लिया गया है।

(ii) <u>भूमि का अधिनिर्णय</u>–बिहार भू–अर्जन नियमावली,2014 से परिचालित <u>प्रपत्र–ix</u> में

भूमि अधिग्रहण की अधियाचना प्राप्त है– प्राप्त है/लागू नहीं

SIA कार्रवाई की स्थिति– प्रतिवेदन प्राप्त है/लागू नहीं

प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत है– हां/लागू नहीं

अधिघोषणा निर्गत है– हां/लागू नहीं

दर की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है– हां/लागू नहीं (समाहर्ता/आयुक्त/सरकार)।

भूमि पर अवस्थित संरचना एवं वृक्ष इत्यादि का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त है।

(भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाएं/वृक्ष इत्यादि के मूल्य सहित)

(iii) R&R का अधिनिर्णय– बिहार भू–अर्जन नियमावली,2014 से परिचालित प्रपत्र–x एवं xi में किया गया है।

जिलों से प्राप्त भू–अर्जन परियोजनाओं के प्राक्कलन प्रस्ताव की जांच हेतु चेक लिस्ट।

विवरण :–	हाँ / नहीं
1– अधिसूचना/अधिघोषणा में निहित भूमि के आलोक में भूमि के प्रकार/किस्म यथा–कृषि/आवासीय/व्यवसायिक इत्यादि हेतु दर की अलग–अलग गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(अधिनियम,2013 की धारा–26 के तहत)** (यदि विभागीय पत्रांक 450 दिनांक 12.04.2017 के कम में छः सदस्यीय समिति द्वारा किस्म परिवर्तन किया गया हो तो तत्संबंधित समिति का निर्णय का साक्ष्य/प्रतिवेदन।)	
2– उक्त दर की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार (साक्ष्य सहित) के स्तर से प्राप्त कर ली गयी है अथवा नहीं ? **(नियमावली,2014 के नियम–31(11) के तहत)**	
3– अर्जनाधीन भूमि के मूल्य के निर्धारण में गुणक फैक्टर (1–2) की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(अधिसूचना सं0–1143 दि0–23.10.2018 के तहत)**	
4– भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों (यथा–भवन/वृक्ष इत्यादि) के मूल्य की गणना सक्षम प्राधिकार (साक्ष्य सहित) के स्तर से की गयी है अथवा नहीं ? **(अधिनियम,2013 की धारा–29 के तहत)**	
5– धारा–40(5) के तहत अतिरिक्त 75 प्रतिशत मुआवजा राशि की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(यदि लागू हो तो)**	
6– धारा–30(3) के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से दखल–कब्जा की तिथि या संभावित पंचाट, जो पहले हो, अनुमानित तिथि तक 12% वार्षिक की दर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की गयी है अथवा नहीं ?	
7– धारा–30(1) के तहत Solatium राशि 100% की गणना की गयी है अथवा नहीं ?	
8– धारा–80 के अन्तर्गत 80% अग्रिम भुगतान के पश्चात अवशेष 20 प्रतिशत की राशि धारा–80 के अन्तर्गत दखल– कब्जा की तिथि से प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर से संभावित भुगतान की तिथि तक सूद की राशि की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(यदि लागू हो तो)**	
9– द्वितीय वर्ष धारा–80 के अन्तर्गत दखल–कब्जा की तिथि से दिनांक तक 15 प्रतिशत की दर से संभावित भुगतान की तिथि तक सूद की राशि की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(यदि लागू हो तो)**	
10– भू–लगान के रूप में ली जानेवाली राशि में @145 प्रतिशत की दर से राशि की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(पत्रांक–791 दि0–21.06.2022)**	
11– 02 प्रतिशत स्थापना व्यय की राशि (कुल मुआवजा राशि पर) की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(अधिसूचना सं0–219 दि0–27.06.2018)**	
12– आकस्मिकता व्यय राशि (कुल मुआवजा राशि पर) 0.5% की गणना की गयी है अथवा नहीं ? **(अधिसूचना सं0–219 दि0–27.06.2018)**	
13– प्राक्कलन स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार नियमावली,2014 के नियम–31(7 से 10 तक) के तहत विनिश्चित हैं, की अधिकारिता के तहत है अथवा नहीं ?	

D:\Rohits\Format\Check list Prakalan.docx

(जांच—पत्रकः—6)

RFCTLARR Act, 2013 के तहत अर्जित भूमि के मुआवजा के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से वांछित दस्तावेज/कागजात की सूची—

क्र0	दस्तावेज/कागजात	प्राप्त/अप्राप्त	अभ्युक्ति
(i)	व्यक्तिगत पंचाट निर्मित है।		
(ii)	हितबद्ध रैयत को मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत है।		
(iii)	हितबद्ध रैयत का शपथ पत्र/बंधपत्र प्राप्त है।		
(iv)	भुगतान की जानेवाली भूमि का LPC प्राप्त है।		
(v)	भुगतान की जानेवाली भूमि का लगान रसीद प्राप्त है।		
(vi)	पहचान पत्र/बैंक खाता विवरणी एवं अन्य कागजात (आवश्यकतानुसार)।		

अनुसूची
प्रपत्र –1
(नियम – 3 देखें)

प्रेषक :

अधियाची निकाय
का नाम एवं/अथवा पदनाम

सेवा में :

समाहर्त्ता,
जिला...

मैं ....परियोजना/प्रयोजन हेतु ....
.........................एकड़ भूमि अर्जित करने का आपसे अनुरोध करता हूँ जिसका विवरण आरेखित नक्शा की तीन प्रतियों के साथ परिशिष्ट I,II,III,IV एवम् V में दर्शाया गया है। मैं भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में सुस्पष्ट प्रतिकर एवम् पारदर्शिता के अधिकार के अध्यधीन यथा उपबंधित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (एस0आइ0ए0) लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत जमा करने को तैयार हूँ।

जिस भूमि का अर्जन किया जाना है, उसके खतियान की प्रमाणित प्रतियों के साथ परियोजना का डी०पी०आर०, प्रशासनिक स्वीकृति, तथा परियोजना का बजटीय उपबंध इसके साथ संलग्न है।

मैं आपके द्वारा निर्धारित तिथि या समय पर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का तत्काल सीमांकन करने तथा सभी आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रस्तुत करने का बचन देता हूँ।

विश्वासभाजन,

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट– I

परियोजना का नाम–

ग्राम का नाम	थाना संख्या	राजस्व थाना	पुलिस स्टेशन	अंचल	जिला	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र (रकवा)	अर्जन किया जाने वाला क्षेत्र	अर्जन की जाने वाली भूमि की चौहद्दी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम	जमाबंदी संख्या	आवासीय धरों की संख्या	व्यावसायिक भवनों की संख्या	वृक्षों की संख्या	टंकी	तालाब	बोरिंग	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट – II

परियोजना का नाम :–

1. गाँव का नाम –
2. थाना संख्या –
3. राजस्व थाना –
4. थाना –
5. अंचल –
6. जिला –
7. भू– अर्जित किये जाने वाले सभी भूखण्डों की संख्याएँ –
   (क) सम्पूर्ण भूखण्डों की संख्या –
   (ख) भाग भूखण्डों की संख्या –
8. अध्यपेक्षा के अधीन कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) –
   (क) भू–अर्जित किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल की चौहदी –
   उत्तर –
   दक्षिण –
   पूरब –
   पश्चिम –
9. बंजर, कृषि तथा सिंचित बहुफसलीय भूमि का क्षेत्रफल –
10. कृषि तथा बहुफसलीय भूमि को शमिल करने के कारण –
11. परिशिष्ट – I के आधार पर भवनों, ढ़ाँचों, टैंकों, कुओं, पेड़ों, बाँधों आदि का विवरण –
12. भू– अर्जन के लिए धार्मिक भवनों, श्मशान या कब्रगाह आदि को शामिल करने के कारण, यदि कोई हो –

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट – III

परियोजना का नाम :–

1. विभाग या सरकार या कम्पनी, स्थानीय प्राधिकार, संस्थान :
2. अधियाची निकाय का अधिकारिक पदनाम :–
3. भू– अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप में) :–
4. क्या कि सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2 (1) के अधीन अपने प्रयोग एवं नियंत्रण के लिए अध्यपेक्षा की गयी है ?
5. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) से 2 (1) (एफ) के अधीन अधियाचना दायर की गयी है ?
6. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (2) (ए) या (बी) के अधीन अध्यपेक्षा की गयी है ?
7. अधिनियम की धारा 3 (सी) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने परिवार प्रभावित है।
8. क्या कि अधिनियम की धारा– 40 के अधीन अध्यपेक्षा की गयी है ।
9. यदि हाँ, तो किस आधार पर ?
10. क्या कि जिस जमीन का भू–अर्जन किया जाना है, उसे भू–स्वामी के साथ बातचीत के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है ?
11. यदि हाँ, तो किस तिथि को एवं किन शर्त्तों पर (कृपया बातचीत की शर्तों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी कॉपी अनुलग्न करें)।
12. परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की निर्गत की तिथि (प्रति अनुलग्न करें)
13. यदि अधियाचना परियोजना की प्रशासनिक अनुमोदन के छः सप्ताह बाद दायर की गयी है, तो अधियाचना दायर करने में हुए बिलम्ब का कारण।
14. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है।

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट – IV

परियोजना का नाम :–

अधियाची प्राधिकार द्वारा भू अर्जन के लिए अध्यपेक्षा के साथ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

1. प्रमाणित किया जाता है कि जिस परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया जायेगा उस में विभागीय पत्रांक–.. .... दिनांक............................... के अधीन प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है।

2. कि रूपये .... की राशि स्थायी अर्जन के लिए और/या रूपये .... की राशि अस्थायी अर्जन के लिए जैसा अधिनियम के अध्याय– xi के अधीन उपबंधित हैं, विभाग के बजट प्राक्कलन में वर्ष .... शीर्ष .... के अधीन अर्जन की लागत पूरी करने के लिए उपबंधित है।

3. भू– अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश की स्थिाति में यथास्थिति समाहर्त्ता/उपयुक्त सरकार द्वारा जब कभी ऐसा करने को कहा जायेगा, विभाग पूरी राशि के भुगतान का वचन देता है।

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट–V

परियोजना का नामः–

समाहर्ता का 18 बिन्दुओं पर प्रमाण पत्र–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अध्यपेक्षा कागजात की पूर्णतया छानबीन कर ली गयी है।
2. परियोजना विधिसम्मत और सदभावी लोक प्रयोजन के लिए है।
3. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का केवल न्यूनतम क्षेत्र, अर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है।
4. ऐसी कोई अनुपयोगी भूमि नहीं है जिसे पहले इस क्षेत्र में अर्जित किया गया हैं।
5. सभी विकल्पों पर विचार करने के पश्चात् अर्जनाधीन भूमि का चयन किया गया है।
6. परियोजना अनुरेखीय/गैर–अनुरेखीय प्रकार की है।
7. अर्जन के अधीन भूमि, बंजर/अकृषित/कृषि/सिंचित बहु–फसली/वाणिज्यिक है।
8. जिला में सिंचित बहु–फसली एवं कृषि भूमि के अर्जन के लिए सरकार द्वारा विहित और नियत सीमा से, अर्जन के अधीन का कुल क्षेत्र अधिक नहीं है।
9. सामाजिक लागत और विपरीत सामाजिक प्रभाव से परियोजना का संभावित लाभ बहुत अधिक है।
10. कब्जा करने के पश्चात् भूमि का उपयोग उसी के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए अर्जन किया गया हो।
11. अधियाची निकाय, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन व्यय सहित अर्जन लागत का वहन करने में समर्थ है।
12. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि अर्जन के अधीन नहीं है।
13. कोई सरकारी भूमि अर्जन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।
14. कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, श्मशान अथवा कोई अन्य धार्मिक संरचना अर्जन के अधीन नहीं है।
15. अर्जन के अधीन भू–हदबंदी से प्रभावित कोई सीलिंग लैंड नहीं है।
16. अर्जन के कारण भू–स्वामी अथवा रैयत, भूमिहीन होंगे/भूमिहीन नहीं होंगे।
17. इस भूमि अर्जन की कार्यवाही पर कोई विशेष विरोध नहीं है।
18. अधियाची निकाय प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कार्यों एवं अन्य अनुमान्य लाभों को सुनिश्चित करेगा।

अधियाची निकाय।

प्रमाणित किया जाता है कि अधियाची निकाय ने उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत कर दी है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी। अपर समाहर्ता। समाहर्ता।

प्रपत्र II
भाग क –एस० आई० ए० के लिए विचारणीय विषय और प्रक्रियागत फीस
(नियम 6 का उप–नियम (1) देखें)

(1) राज्य एस० आई० ए० इकाई समुचित सरकार द्वारा भेजे गये भूमि अर्जन प्रस्ताव की पुनर्विलोकन करेगी और परियोजना विशेष विचारणीय विषय (टी० ओ० आर०) और बजट को प्रस्तुत करेगी। टी० ओ० आर० और बजट के आधार पर एक प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) फीस अवधारित की जायेगी जो एस० आई० ए० की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व अधियाची निकाय द्वारा जमा कराई जायेगी।

(2) टी० ओ० आर० में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :–

(i) परियोजना का संक्षिप्त विवरण, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार ;

(ii) एस० आई० ए० के उद्देश्य और एस० आई० ए० द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य;

(iii) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर एस० आई० ए० प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि तथा ग्राम सभा और/अथवा भू–स्वामियों की सहमति लेनी अपेक्षित है अथवा नहीं ?

(iv) विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित एस०आई०ए० निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेयर सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल ;

(v) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की लागत का अलग–अलग स्पष्ट विवरण के साथ टी०ओ०आर० के आधार पर कोई परियोजना–विनिर्दिष्ट बजट ;

(vi) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुस्पष्ट विनिष्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल को निधि का समवितरण करने की समय सारणी ;

(3) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनषीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहुंच में होनी चाहिए, जिससे अधियाची निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। इन दरों का समय–समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए। फीस का एक निष्चित अनुपात राज्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

भाग– ख
एस० आई० ए० की अधिसूचना
(देखें नियम 6 का उप–नियम (1))

एस० आई० ए० की अधिसूचना में ये अवश्य शामिल होंगे;

(i) परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और एस०आई०ए० द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र

(ii) एस० आई० ए० के प्रमुख उदेश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत हैं (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ,

(iii) यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू– स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए।

(iv) एस० आई० ए० के लिए टाईमलाइन और अंतिम परिदेय (एस० आई० ए० प्रतिवेदन और एस० आई० एम० पी०) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(v) यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा।

(vi) राज्य एस०आई०ए० इकाई की सम्पर्क सूचना।

प्रपत्र III

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन
(देखे नियम 6 के उप–नियम 3)

भाग– क– एस आइ ए द्वारा आच्छादित सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर।

परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा

- उम्र, लिंग, जाति, धर्म
- साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति

2. गरीवी के स्तर
3. दुर्बल समूह

(क) महिलाएँ, (ख) बच्चे, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री प्रदान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति,
(च) विभिन्न रूप से सक्षम

4. बन्धुता का पैटर्न एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका
5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
6. प्रशासनिक संगठन
7. राजनीतिक संगठन
8. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक आन्दोलन
9. आजीविका एवं उपयोग हेतु भूमि

- कृषि एवं गैर कृषि संबंधी उपयोग
- भूमि की गुणवत्ता–मिट्टी, जल, वृक्ष आदि
- पशुधन
- औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य एवं रोजगार
- श्रम का गृहस्थी में श्रम विभाजन एवं महिलाओं के कार्य
- प्रवास
- गृहस्थी के आय स्तर
- आजीविका की प्राथमिकता
- खाद्य सुरक्षा

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

- औपचारिक एवं अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग
- ऋण तक पहूँच
- मजदूरी दर
- विशिष्ट आजीविका के कार्यकलाप जिसमें महिलाएँ सम्मिलित होती हैं।

11. स्थानीय आजीविका में योगदान देनेवाले कारक

- प्राकृतिक संसाधनों तक पहूँच
- आम संपत्ति संसाधन
- निजी आस्तियाँ
- सड़क, परिवहन
- सिंचाई सुविधाएँ
- बाजार तक पहुँच
- पर्यटक स्थल
- आजीविका उन्नयन कार्यक्रम
- सहकारी एवं अन्य आजीविका संबंधी संघ

12. जीवंत वातावरण की गुणवत्ता

- बोध, सौन्दर्यपरक गुण, लगाव एवं महत्वकांक्षा
- समझौता के प्रतिरूप (पैटर्न)
- गृह
- सामुदायिक एवं नागरिक स्थल
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थल
- भौतिक आधारभूत संरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य, सुविधाएँ, आँगनवाड़ी केन्द्र एवं जन वितरण प्रणाली)

- सुरक्षा, अपराध, हिंसा
- महिलाओं हेतु सामाजिक जमावड़ा के स्थल

भाग–ख– प्रमुख प्रभाव क्षेत्र

1. भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव

- अंतर गृहस्थी में रोजगार का स्तर और प्रकार
- आय के स्तर
- खाद्य सुरक्षा
- जीवन निर्वाह का स्तर
- उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण और पहूँच
- आर्थिक अवलम्ब या सुभेद्यता
- स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन
- दरिद्रता का जोखिम
- आजीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहूँच

2. भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

- प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, जल, वनों पर प्रभाव
- जीविका के लिये भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव

3. निजी सम्पत्तियों, लोक सेवाओं तथा उपयोगिताओं पर प्रभाव

- विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की क्षमता
- आवास सुविधाओं की क्षमता
- स्थानीय सेवाओं की आपूर्त्ति पर दबाव
- विद्युत एवं जलापूर्ति, सड़क, स्वच्छता तथा कचड़ा प्रबंधन प्रणाली की सुनिश्चिता
- बोर वेल, अस्थायी शेड आदि जैसी निजी सम्पत्तियों पर प्रभाव।

4. स्वास्थ्य प्रभाव

- आव्रजन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- परियोजना कार्यकलापों पर विशेष जोर देने के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव
- वृद्धों पर प्रभाव

5. संस्कृति एवं सामाजिक समरसता पर प्रभाव

- स्थानीय राजनीतिक ढाँचों का रूपान्तरण
- जन सांख्यिकीय परिवर्त्तन
- अर्थव्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन में विचलन
- मानदण्डों, मान्यताओं मूल्य तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव
- अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप
- विस्थापन का तनाव
- पारिवारिक सम्बद्धता के अलगाव का प्रभाव
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

6. परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव

सामाजिक प्रभाव का प्रकार, समय, अन्तराल तथा प्रभाव परियोजना चक्र पर निर्भर करेगा तथा निकटतः सम्बन्धित होगा। प्रभावों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही है:–

निर्माण–पूर्व चरण

– सेवाएँ उपलब्ध कराने में व्यवधान
– उत्पादनकारी निवेश में गिरावट
– भूमि की अटकलबाजी
– अनिश्चितता का तनाव

निर्माण चरण

– विस्थापन और पुनःअवस्थापन
– प्रवासी निर्माण श्रमिकों का आगमन
– निर्माण स्थल के समीप रहने वालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

परिचालन चरण
- निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी
- परियोजना के आर्थिक लाभ
- नयी आधारभूत संरचना का लाभ
- सामाजिक संगठनों की नयी रीति

कार्य से हटाने वाला चरण
- आर्थिक अवसरों की हानि
- पर्यावरण में गिरावट तथा इसका आजीविका पर प्रभाव

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव
- "प्रत्यक्ष प्रभाव" में प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किये जानेवाले सभी संभावित प्रभाव सम्मिलित होंगे
- "अप्रत्यक्ष प्रभाव" में वे सभी प्रभाव शामिल होंगे, जिनका अनुभव उन्हें हो सकता है जो भूमि अधिग्रहण (यथा–प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं आजीविका खोनेवाले) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि उन्हें, जो परियोजना क्षेत्र में वास करते हैं

अंतरीय प्रभाव
- महिला, बच्चा, प्रौढ़ तथा विशिष्ट योग्य पर प्रभाव
- जेन्डर इम्पैक्ट ऐसेसमेन्ट चेकलिस्ट एवं कोमलता तथा लोच मानचित्रण जैसे साधनों (औजारों) से अभिन्न प्रभाव

संचयी प्रभाव
- संदेहवाली परियोजनाओं के लिये अभिन्न प्रभाव के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य तथा संभावित प्रभाव।
- प्रत्यक्षतः नहीं, किन्तु स्थानीय या यदाकदा क्षेत्रीयता के आधार पर, जो परियोजना क्षेत्र में आते हैं, उन पर प्रभाव।

भाग–ग

एस0आई0ए0 प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के विषय–वस्तुओं की सारणी।

अध्याय	विषय–वस्तु
कार्यकारी सारांश	परियोजना तथा लोक प्रयोजन
	अवस्थिति
	भूमि अधिग्रहण का आकार तथा विशेषता
	विचारित विकल्प
	सामाजिक प्रभाव
	सामाजिक प्रभाव कम करने के उपाय
	सामाजिक मूल्य तथा लाभ का मूल्यांकन
विस्तृत परियोजना विवरण	विकासकों की पृष्ठभूमि तथा गवर्नेस/प्रबंधन ढाँचा सहित परियोजना की पृष्ठभूमि
	परियोजना का मूलाधार, जिसमें इसे शामिल किया जाय कि परियोजना किस प्रकार अधिनियम में सूचीबद्ध लोक प्रयोजन के मानक के अनुकूल हैं
	विकल्पों की जाँच
	परियोजना निर्माण के चरण
	सुविधाओं के प्रकार एवं आकार तथा कोर डिजायन विशिष्टियाँ
	आधारभूत संरचनागत सहायक सुविधाओं की आवश्यकता
	कार्यबल (अस्थायी एवं स्थायी) की आवश्यकता
	यदि पूर्व से संचालित है तथा कोई तकनीकी औचित्य प्रतिवेदन हो तो एस0 आइ0 ए0 अथवा इ0 आइ0 ए0 का विवरण
	लागू किए गए विधान और नीतियां
दल संयोजन, पहुँच एस0आइ0ए0 का वर्गीकरण तथा अनुसूची	शैक्षणिक योग्यता सहित दल के सभी सदस्यों की सूची। (दल में लैंगिक विशेषज्ञ को शामिल किया जाय)
	एस आइ ए के लिए सूचना एकत्र करने में प्रयुक्त प्रणाली तथा औजार का विवरण एवं मूलाधार
	प्रयुक्त प्रतिदर्श प्रणाली
	प्रयुक्त सूचना/डाटा स्रोतों की जाँच। फारमों में विस्तृत संदर्भ को अलग से निश्चित रूप से शामिल किया जाय।

	प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची। लोक सुनवाईयों के ब्योरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में प्रारूपों में सम्मिलित करना।
भूमि का मूल्यांकन	मानचित्रों, भू सम्पत्ति–सूची तथा प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त सूचना की सहायता से उल्लेख किया जाय।
	परियोजना के प्रभाव के अधीन प्रभाववाले सम्पूर्ण क्षेत्र (अर्जन हेतु भूमि क्षेत्र की सीमा नहीं)
	परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि
	किसी सार्वजनिक, परियोजना क्षेत्र के पड़ोस की अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग
	भूमि (यदि कोई हो) जिसके प्रत्येक खंड का अभीष्ट प्रयोग परियोजना के लिये अपेक्षित है, पहले ही खरीद लिया गया है, हस्तान्तरित, पट्टे पर या अर्जित कर लिया गया है।
	परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा एवं अवस्थिति
	कृषि भूमि होने पर कुल सिंचित क्षेत्र एवं फसल लगाने की रीति तथा भूमि की प्रकृति, वर्तमान प्रयोग एवं वर्गीकरण
	जोत–क्षेत्रों का आकार, स्वामित्व की रीति, भूमि का वितरण तथा आवासीय भवनों की संख्या
	जमीन का मूल्य एवं उसके गत तीन (3) वर्ष से ऊपर उपयोग करने पर उसके स्वामित्व तथा अन्तरण में हुए अद्यतन परिवर्तन
प्रभावित परिवारों एवं परिसम्पत्तियों का प्राक्कलन तथा नाम निर्देशन (जहाँ अपेक्षित हो)	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन, जो :
	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं (अपनी भूमि, जो अर्जन हेतु प्रस्तावित है) :
	कास्तकार है/अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि उसके अधिकार में है
	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी हैं जिन्होंने अपना वनवासी होने का कोई अधिकार खोया है।
	सार्वजनिक सम्पदा संसाधनों पर आश्रित है तथा जिसकी उनकी आजीविका के लिये अर्जन के कारण क्षति, हुई है।
	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अपने किसी स्कीम के अधीन भूमि समनुदेशित की गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अधीन है;
	भूमि अर्जन के तीन वर्ष पूर्व से अथवा उससे अधिक से शहरी क्षेत्रों में किसी भूमि पर रह रहा हो
	अर्जन के तीन वर्ष पूर्व से आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में अर्जित की गई भूमि पर आश्रित हो
	परियोजना से अप्रत्यक्षतः प्रभावित हो चुका हो (अपनी भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं)
सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्व्यवस्थापन स्थल का)	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या की जनसांख्यिकी ब्यौरा
	आय और गरीबी स्तर
	सुभेद्य समूह
	भूमि उपयोग और आजीविका
	स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप
	वह कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं
	नजदीकी पैटर्न और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
	प्रशासनिक संगठन .
	राजनीतिक संगठन
	समुदाय आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन क्षेत्रीय गतिकी और ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया
	जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता
सामाजिक प्रभाव	प्रभाव की पहचान करने की रूपरेखा और मार्ग
	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव का विवरण जैसे स्वास्थ्य एवं आजीविका एवं संस्कृति पर। हरेक प्रकार के प्रभाव के लिए अलग संकेत, क्या यह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न कोटियों पर प्रभाव और संचयी प्रभाव कहाँ लागू है

	प्रभाव क्षेत्रों की संकेतात्मक सूची जिसके अंतर्गत हैः भूमि का प्रभाव, आजीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी परिसंपत्तियाँ, जन सेवा और उपयोगिता, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सम्बद्धता और लिंग आधारित प्रभाव
लागत और लाभ का विश्लेषण और अर्जन पर अनुशंसा	अंतिम निष्कर्ष : लोक प्रयोजन का मूल्यांकन, कम विस्थापन विकल्प, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता, सामाजिक प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता, कम करने के उपाय की व्यवहार्यता और वह विस्तार जिससे एस0आई0एम0पी0 में वर्णित कम करने के उपाय, सामाजिक प्रभावों एवं विपरीत सामजिक लागत का संपूर्णता से हल निकालेंगे।
	क्या अर्जन होना चाहिए अथवा नहीं, पर अंतिम अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त विश्लेषण साम्या सिद्धांत का उपयोग विश्लेषण मानदंड के रूप में करेगा।
निर्देश और प्रपत्र	निर्देश और अधिक सूचना के लिए

प्रपत्र IV

(नियम 6 का उप–नियम (4) देखें)

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

(क) कमी करने का मार्ग

(ख) प्रभाव को दूर करने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

(ग) अधिनियम में यथा उल्लिखित पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों में सम्मिलित उपाय

(घ) ऐसे उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा हो कि इसे परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ङ) अतिरिक्त उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा है कि वह एस0आई0ए0 प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों के उत्तर में कार्य करेगा।

(च) एस0आई0एम0पी0 में संस्थागत ढ़ाँचा का विवरण और कम करनेवाले हरेक प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख व्यक्ति और हरेक क्रियाकलाप की लागत सम्मिलित होंगे।

प्रपत्र V

भाग–क

पूर्व लिखित सहमति अथवा घोषण प्रपत्र

(नियम 18 का उप–नियम (1) देखें)

क्रम सं0	सम्बधित व्यक्ति का ब्यौरा
1	व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम जिसके नाम से भूमि रजिस्ट्रीकृत है
2	पति/पत्नी का नाम
3	पिता/माता का नाम
4	पता
5	ग्राम/मुहल्ला
6	ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर–क्षेत्र
7	अंचल/अनुमंडल
8	जिला
9	परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और उम्र (बच्चों और वयस्क आश्रित सहित)
10	स्वामित्व वाली भूमि का विस्तार
11	अर्जन का क्षेत्र
	खाता एवं खेसरा सं0
	विवादित भूमि, यदि कोई हो
12	पर्चा/पट्टा/अनुदान, यदि कोई हो

13	अभिधृति सहित कोई अन्य अधिकार यदि कोई हो
14	सरकार द्वारा मेरी भूमि का अर्जन किए जाने के संबंध में मैं निम्नलिखित कहना चाहता हूँ (कृपया नीचे किसी एक को घेर दें)
	मैंने इस सहमति प्रपत्र की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है तथा मुझे .... भाषा में इसे समझा दिया गया है और **मैं इस अर्जन से सहमत नहीं हूँ/मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।** **प्रभावित परिवार (परिवारों) का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान एवं तिथि :**
	ध्यातव्य 1 : अपनी भूमि के बदले में भूस्वामी को दी जाने वाली चीज एवं उनके पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में सभी सूचनाएँ इस प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर लिए जाने के पूर्व उपलब्ध करानी होगी। इस प्रपत्र के साथ ये निबंधन एवं शर्तें संलग्न रहेंगी। **हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त करने वाले अमिहित जिला के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि** ध्यातव्य 2 : किसी भूस्वामी द्वारा सहमति देने से इंकार करने की स्थिति में या इस प्रपत्र पर अपनी सहमति न देने की बात करने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को धमकी देना या किसी प्रकार की हानि करवाना कानूनन अपराध है। ऐसी धमकी या कृत्य धन–हानि, शारीरिक क्षति या परिणामस्वरूप उनकी परिवारिक कोई क्षति साम्मलित हैं। ऐसी किसी भी धमकी की स्थिति में यह प्रपत्र अकृत एवं शून्य होगा।

भाग–ख

ग्राम सभा संकल्प हेतु फार्मेट

नियम 20 का उप–नियम (1) देखें

हमलोग, अधोहस्ताक्षरी सदस्य ग्राम सभा..पंचायत.................................... अंचल........ .... जिला.., कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणन प्रशासन एवं पदधारियों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। यदि यह सूचना अपूर्ण या गलत और/या कोई सहमति किसी प्रकार की धमकी, धोखे अथवा अन्यथा कथन द्वारा प्राप्त की गई है, तो यह अकृत एवं शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद्द्वारा यह प्रमाणित करती है कि यह प्रस्तावित परियोजना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, को सहमति देता है या सहमति देने से इंकार करता है–

.... एकड़ निजी भूमि का अर्जन

*.. एकड़ सरकारी जमीन परियोजना को अंतरण

*.. एकड़ वन भूमि परियोजना को अंतरण

अधियाची निकाय (नाम–..) द्वारा स्वीकृत प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभों के निबंधन एवं शर्त्तों तथा सामाजिक प्रभाव प्रशमन उपाय संलग्न हैं।

ग्राम सभा यह भी कहती है कि कोई भी सहमति वन एवं वन्य भूमि पर अपना सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का हक एवं उनके द्वारा फसल उपजाये जाने वाले वन्य भूमि पर हक, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लघु वन उत्पाद के हरेक रूपों पर स्वामित्व हक, और उनके सामुदायिक वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन की हक प्राप्त करने वाले इसके सभी निवासियों के अध्यधीन है।

(ध्यातव्य : यह इस ग्राम सभा द्वारा अलग–अलग प्रमाणित किया जाना होगा।)

ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर/अँगूठे की निशान एवं तिथि :

संकल्प की पावती पर अमिहित जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रपत्र VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम .... थाना........................... ....थाना सं0...................... अंचल.. जिला.. में कुल ... . एकड़ यानि .... हे0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना .... हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा–निम्न है:– .... भू अर्जन के कारण कुल .... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– .... थाना .... थाना सं0 .... अंचल................................... जिला...................................... में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश .... एकड़ यानि .... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.. ....

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी .... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी... और उनके कर्मचारी .... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का काई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी .... के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

*चूँकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया है।

*जो लागू नहीं हो, उसे हटा दें।

राज्यपाल/समाहर्ता के आदेश से।

प्रपत्र VII
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग
(भू अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार
अधिघोषणा
(अधिनियम–30/2013 की धारा– 19 (1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना .... हेतु ग्राम .... थाना.................... थाना सं0.................... अंचल .... जिला .... में कुल .... एकड़ यानि .... हे0 भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो मानक माप से कमोवेश .... एकड़ यानि .... हेक्टेयर है और जो ग्राम.................... .... थाना.................... थाना संख्या.................... अंचल.................... जिला.................... में है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्न्त किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है: ग्राम .... थाना.................... थाना संख्या.................... अंचल .... जिला.................... क्षेत्रफल .... एकड़.................... यानि .... हे0

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, एसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी .... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये है:–

....

....

राज्यपाल/समार्हता के आदेश से

प्रपत्र VIII
{दिंखे नियम 28 (5)}

भू अर्जन के कारण अनु0 जाति/जनजाति के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का प्रारूप।

क्रम सं0	दावेदार/परिवार के मुखिया के नाम	स्थायी पता	हकदारी	अभ्युक्ति
			1. कृषि, बागवानी, पशु चारागाह के लिए प्रत्येक परिवार को एक एकड़ तक जमीन दिया जायेगा। 2. प्रत्येक परिवार को रहने के लिए आवासीय इकाई के उपबंध इन्दिरा आवास, पेय जल सुविधा, शौचालय इत्यादि 3. प्रत्येक परिवार को एक लाख पचास हजार की वित्तीय सहायता एक बार दी जायेगी। 4. मनरेगा और कोई अन्य जॉब उपलब्ध करानेवाली स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जायेगा।	

			5. प्रभावित परिवार के युवकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा दक्षता का विकास। 6. विस्थापित परिवार के लिए एक वर्ष हेतु प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में तीन हजार रू0 अधिनिर्णय की तिथि से मंजूर किया जाना चाहिए। 7. प्रत्येक प्रभावित परिवार को गोशाला एवं छोटी दुकान के लिए कम से कम पचीस हजार रूपये दिये जायेंगे।	

प्रपत्र IX
भू अर्जन अधिनिर्णय
(अधिनियम 30/2013 की धारा 23 एवं 30 के अधीन)

भू–अर्जन वाद संख्या–

1	परियोजना के नाम–
2	अधिघोषणा की सं0 तथा तिथि जिसके अधीन भूमि अर्जित किया जाना है–
3	अधिघोषणा का सरकारी राजपत्र में प्रकाषन की सं0 एवं तिथि–
4	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)–
5	सर्वे नक्सा में भूखंड की संख्या, गाँव जिसमें यह अवस्थित है, साथ ही मील योजना, यदि कोई हो–
6	भूमि का विवरण, अर्थात् क्या परती भूमि, कृष्य, वासगीत, व्यावसायिक भूमि इत्यादि। यदि कृष्य है, तो कैसे कृष्य है?
7	भूमि में हितबद्ध लोगों की नाम एवं संख्या और उनकी अपनी–अपनी हितबद्धता की प्रकृति–
8	भूमि हेतु स्वीकृत राशि, वृक्ष रहित, भवन रहित इत्यादि, यदि कोई हो–
9	भूमि में पट्टेधारी के हित में ऐसे स्वीकृत राशि में से प्रतिकर के रूप में देय राशि–
10	परिकलन के आधार
11	धारा 13 के अधीन क्षति की राशि, यदि कोई हो–
12	धारा 28 के अधीन क्षति का विवरण, यदि कोई हो–
13	वृक्ष, मकान या कोई अन्य अचल सम्पत्ति हेतु स्वीकृत राशि–
14	खड़ी फसल एवं वृक्ष हेतु स्वीकृत राशि–
15	धारा 30 (1) के तहत सत्वना राषि–
16	धारा 30 (3) के अधीन भूमि के बाजार मूल्य पर अतिरिक्त राशि–
17	धारा 40 (5) के अधीन आपातिक मामलों में अतिरिक्त राशि, यदि लागू हो तो–
18	कुल मुआवजा की राशि (भूमि, संरचनाओं एवं क्षति सहित)–
19	धारा 80 के अधीन सूद की राशि, यदि कोई हो तो–
20	सरकारी राजस्व के उपशमन का विवरण जिस तिथि से उपशमन प्रमावी होता हो उस तिथि से पूँजीकृत मूल्य चूकता करना–
21	धारा–23 एवं 30 के अधीन पंचाट–

22. व्यक्तिगत पंचाट का विवरण–

प्रतिकर की राशि का संविभाजन

क्र0 सं0	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल मुआवजा की राशि	दावेदार का नाम	बैंक खाता संख्या	प्रत्येक को भुगतेय राशि (रूपए में)	अभ्युक्ति

23. अधिनियम 30/ 2013 की 38 (1) एवं धारा 40 (1) के अधीन भूमि को जिस तिथि को दखल–कब्जा में लिया गया–

यदि दखल–कब्जा धारा 40 (1) के अधीन है तो ऐसा प्राधिकार देने वाला सरकार का आदेश संख्या एवं तिथि–

तारीख....................................

समाहर्त्ता

प्रपत्र X
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय
(अधिनियम की द्वितीय अनुसूची देखे)

भू–अर्जन वाद संख्या–

1.	परियोजना का नाम–							
2.	अघोषणा सं0 एवं तिथि जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया जाना हो की संख्या							
3.	भूमि की अवस्थिति एवं विस्तार–एकड़ में सर्वेक्षण मानचित्र पर क्षेत्र खंडों की संख्या, वह गाँव जहाँ मील योजना यदि कोई हो, सहित							
4.	भवन इकाई का विवरण, आई0ए0वाई, परिवहन खर्च, आवास भत्ता, वार्षिकी, रोजगार, जीवन निर्वाह अनुदान, पशुशाला, छोटी–मोटी दूकान, एक बारगी पुर्नवास भत्ता इत्यादि।							
5.	भूमि में हितबद्ध रखनेवाले व्यक्तियों के नाम और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपने–अपने दावों की प्रकृति।							
6.	प्रतिकर की राशि का संविभाजन क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्रम सं0	दावा करने वालों के नाम/प्रभावित परिवार	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी	बैंक खाता संख्या	प्रत्येक को देय रकम	गैर अनुश्रवणीय की हकदारी	अभ्युक्ति
				आवंटन किए जाने वाले आवास आवंटन की जानेवाली भूमि मत्स्य ग्रहण अधिकार रोजगार परिवहन खर्च				

				आवास भत्ता				
				वार्षिकी				
				जीवन–निर्वाह अनुदान				
				पशुशाला				
				छोटी–मोटी दुकान				
				एक बारगी पुनर्वास भत्ता				
				एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता				

7. तारीख जब प्रभावित परिवार को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था के हकदारी दी गई।
तारीख...

प्रशासक समाहर्त्ता आयुक्त

प्रपत्र XI

(अधिनियम–30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30 (2) देखे)

भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अधीन आधारभूत संरचनात्मक साधन–सुविधाओं के उपबंध का फार्मेट।

क्र0 सं0	संघटक	आधारमूत संरचनात्मक/ साधन–सुविधाओं का विवरण
1	सड़क	
2	जल निकास	
3	पेय जल	
4	पशु के लिए पेय जल	
5	चारागाह के लिए भूमि	
6	उचित मूल्य की दूकान	
7	पंचायत घर	
8	डाक घर	
9	खाद भंडार	
10	सिंचाई सुविधाएँ	
11	परिवहन सुविधाएँ	
12	कब्रगाह और श्मशान घाट	
13	शौच घर	
14	विद्युत सम्बद्धता	
15	पोषण सेवा	
16	विद्यालय	
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र	
18	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
19	क्रीड़ा स्थल	
20	सामुदायिक भवन	
21	उपासना स्थल	
22	जनजाति संस्था के लिए पृथक भूमि	
23	इमारती वन उत्पाद	

24	सुरक्षा प्रबंध	
25	पशु चिकित्सा सेवा	

प्रशासक समाहर्त्ता आयुक्त

प्रक्रिया पैटर्न
दर प्रतिवेदन का प्रपत्र

भू–अर्जन वाद संख्या–
परियोजना का नाम–

ग्राम.................................. थाना संख्या.......................... अंचल......................... जिला.............................

1.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए भूमि अर्जन किया जा रहा है	
2	अधियाची निकाय का नाम	
3	अध्यपेक्षा दायर करने की तारीख	
4	अधिनियम की धारा 4 (2) के अधीन एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना की तारीख	
5 (क)	धारा 11 (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख	
(ख)	धारा 19 (1) के अधीन अधिघोषणा के प्रकाशन की तारीख	
(ग)	धारा 15 (1) अधीन नोटिस के निर्गत की तारीख	
(घ)	धारा 21 (1) के अधीन नोटिस के निर्गत की तारीख	
(ङ.)	धारा 38(1) एवं 40(1) के अधीन आदेष पावती की तारीख	
6 (क)	तारीख जब अधियाची प्राधिकार ने भूमि पर दखल– कब्जा ग्रहण किया	
(ख)	अधिनियम के अधीन औपचारिक अध्यपेक्षा की प्रत्याशा में अभिरूचि रखनेवाले के साथ अनुबंध द्वारा या	
(ग)	अधिनियम की धारा 38 (1) के अधीन, या	
(घ)	अधिनियम की धारा 40 (1) के अधीन	
7	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) एवं गुणात्मक वर्गीकरण का ब्यौरा	
8	अर्जनाधीन भूमि के वर्गीकरण का आधार	
9	पदाधिकारी का पदनाम जिनके द्वारा अर्जनाधीन भूमि का वर्गीकरण हेतु स्थल निरीक्षण एवं जाँच किया गया।	
10	क्या भूमि का वर्गीकरण विवाद की स्थिति में समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी है?	
11	भूमि का अधिकतम उच्चतर दर	
12	भूमि का न्यूनतम निम्नतर दर	
13	धारा–26(1) (स्पष्टी0–4) के तहत त्याज्य बिक्री आकड़ो की सं0	
14	धारा–26(1)(ए0) के तहत निबंधन हेतु भूमि का निर्धारित दर	
15	धारा–26(1) (बी0) के तहत भूमि का औसत दर	
16	धारा–26(1) (बी0) के तहत समझौता की राशि, यदि कोई हो तो	
17	भूमि के विभिन्न प्रकारो/वर्गो के लिए प्रस्तावित दर	
18 (क)	धारा 26 के अधीन कैसे दर को विनिश्चित किया गया है, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करें।	
(ख)	कोई अन्य तरीका जैसे अधियाची और अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति के बीच कोई ऐसी करार	

The RFCTLARR Act 2013 Preamble

An Act to ensure, in **consultation with institutions of local self-government and Gram Sabhas** established under the Constitution, a humane, **participative, informed and transparent process** for land acquisition for industrialisation, development of essential infrastructural facilities and urbanisation with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide **just and fair compensation to the affected families** whose land has been acquired or proposed to be acquired or are affected by such acquisition and make adequate provisions for such affected persons for their **rehabilitation and resettlement** and for ensuring that the cumulative outcome of compulsory acquisition should be that **affected persons become partners in development** leading to an improvement in their post acquisition social and economic status and for matters connected therewith or incidental thereto.

(Effective from Ist day of January, 2014)

The RFCTLARR Act- 2013

- **4 Schedules**
- **13 Chapters**
- **114 Sections**

Chapterisation

CHAPTERS	TITLE
Chapter I	Preliminary **(Sections 1-3)**
Chapter II	Determination of Social Impact and Public Purpose **(Sections 4-9)**
Chapter III	Special Provision to Safeguard Food Security **(Section 10)**
Chapter IV	Notification and Acquisition **(Sections 11-30)**
Chapter V	Rehabilitation and Resettlement Award **(Sections 31-42)**
Chapter VI	Procedure and Manner of Rehabilitation and Resettlement **(Sections 43-47)**
Chapter VII	National Monitoring Committee for R & R **(Sections 48-50)**
Chapter VIII	Establishment of LARR Authority **(Sections 51-74)**
Chapter IX	Apportionment of Compensation **(Sections 75-76)**

LARR- 2013- Summary Table & Checklist

Step/Topic	Relevant Section(s)	Key Requirement	Checklist for Compliance
Objective & Scope	Sec. 1-3	Applies to land acquisition by govt. for public purpose + Private /PPP projects	Confirm project falls under "public purpose" definition
Definitions	Sec. 3	"Affected family", "land owner", "public purpose" etc	Identify all categories of affected persons
Social Impact Assessment (SIA)	Sec. 4-9	SIA public hearings mandatory before acquisition	SIA completed, public hearing done, Report published.
Notification & Preliminary Survey	Sec. 11-12	Preliminary notification of intent to acquire	Notice served to affected persons, objection recorded.
Determination of Compensation	Sec. 26-30	Market Value X Multiplier + 100% Solatium	Market Value calculated, Multiplier applied (rural/Urban), Solatium added.
Award & Possession	Sec. 23-25, 38	Award to be made within time limit; possession after full payment	Award issued, compensation paid, R&R benefits provided
Rehabilitation & Resettlement (R&R)	Sec. 31-42	Housing, Livelihood, annuities, amenities	R&R plan prepared,. R&R Implemented before displacement
Return of unutilised land	Sec. 101	Return to original owners if unused in 5 years	Period tracked, Return process initiated if applicable
Urgency clause	Sec. 40	Only for defence, national securities, natural calamities	Written justification
Grievance Redress	Sec. 51-74	LARR Authority form disputes	Authority constituted, Appeals mechanism functional
Exemptions	Sec. 105	Certain Acts exempt but can be brought under LARR via notification	Check Project's Act Coverage

Consideration for Food Security

Acquisition of Multi-crop Irrigated Land- S.10

- Should be a demonstrable last resort
- Aggregate of such lands for all projects in a district or state shall not exceed such limits notified by appropriate government
- Equivalent area (of such lands acquired) shall be developed for agricultural purposes/amount equivalent to the value of the land acquired shall be deposited with the appropriate government for investment in agriculture for enhancing food security
- Acquisition of agricultural land in aggregate for all projects in a district or state, shall in no case exceed the limits of net sown area of that district or state as notified by the appropriate government

Exceptions

- Linear Projects – railways, highways, major district roads, irrigation canals, power lines etc.
- Schedule IV legislations

PRILIMINARY NOTIFICATION (S.11-14)

CONTENT- 11(3)	POST NOTIFICATION
The notification issued under sub-section (/) shall also contain a statement on the nature of the public purpose involved, reasons necessitating the displacement of affected persons, summary of the Social Impact Assessment Report and particulars of the Administrator appointed for the purposes of rehabilitation and resettlement under section 43. Mode- 11(1)	• 11(2) Special Meeting Gram Sabha • 11(4) No transaction /encumbrance • 11(5) Public Hearing • 12- 60-day notice- landowners absence • 14- Where a preliminary notification under section 11 is not issued within twelve months from the dale of appraisal of the Social Impact Assessment report submitted by the Expert Group under section 7, then, such report shall be deemed to have lapsed and a fresh Social Impact Assessment shall be required to be

Objections- Section 15

CONTENT - 15(1)-60 Days from 11(1)
Area and suitability of land proposed to be acquired
Justification offered for public purpose
Findings of the Social Impact Assessment report

MODE – 15(3)
(a) Objections in Written
(b) Personal Hearing
(c) Reports by Collector to appropriate govt.
- ❖ Recommendations on Objections & Proceedings
- ❖ Report on Approx. cost of **LA & number of Affected Families to be Resettled**

SIGNIFICANCE - Quash of Proceedings – Non-Compliance

Principle of Natural Justice-Only Protection Available to Landowner

Expropriatory legislation-Provision to be Strictly Followed

Activities prior to declaration

16(1): Conducting of Socio-Economic Survey by Administrator
16(2): Preparation of Draft R&R scheme by Administrator
16(4): Grama Sabha for discussion on draft R&R by Administrator
16(5): Public hearing by the Administrator
16(6): Submission of draft R & R Scheme/Report on PH to DC
17(1): Review of draft R &R by Collector with Project Committee
17(2): Submission of the draft scheme to the Commissioner R&R
18: Publication of approved R&R by Commissioner R&R

SIGNIFICANCE
- ❖ Quash of Proceedings – Non-Compliance
- ❖ New Provisions-SES, R& R

CONDITIONS: No declaration

- **Without summary of the R & R Scheme**
- **Without Deposit of cost of LA (full/part) by Requiring Body**

MODE – 11(1)

(a) Official Gazette
(b) 2 daily newspapers, 1 regional language
(c) Offices of local bodies, DC & SDM
(d) Website

Claims to Compensation and R&R S(21)

CONTENT -21(2)

- Claims to compensations and R & R
  - ✓ nature of interests in land
  - ✓ Amount/particulars of claims to compensation
  - ✓ **Claims to R & R**
  - ✓ Objections to measurements under section 20

MODE

- 21(1) Public notice on website & convenient places on
- 21(4): Individual Notice on the occupier
- 21 (5) Non-residents
  - ✓ Notice to last known residence/business place
  - ✓ **Publish the same in at least two national daily newspapers and also on his website**

SIGNIFICANCE
1. Mandatory **Individual Notice**
2. R & R-Onus on Persons Interested to Prove Entitlement

Section 37 (1) to (3) (Awards of Collector when to be Final)

(1) Filed in Collector 's office-Conclusive evidence

(2) Notice to those not present personally

(3) Display Summary of entire proceedings incl. amount of compensation awarded to each individual on website created

Payment, Deposit and Possession (Sec 38)

Section 38-Possession

(1) Possession of land after ensuring:

- **Full payment of Compensation: 3 months from award**
- **Monetary R&R: 6 months from award**
- **Infrastructural entitlements: 18 months from award**
- **Irrigation/Hydel project: 6 months pre-submergence**

(2) Collector-R & R to be completed before displacement.

Not turned up to receive-Issue notices u/s 37

Payment & Deposit

Section 77

(1) Payment-depositing the amount in their bank accounts unless prevented

(2) Deposit in LARR Authority-

- Not consenting lo receive
- No person competent to alienate the land
- Dispute to title/apportionment
- Received under protest

CONSENT FOR ACQUISITION IN SCHEDULED AREAS

S.41 (1): No acquisition of land in Scheduled Areas as far as possible

S. 41(2): Demonstrable last resort.

S.41(3): Mandatory Consent of Gram Sabha / Panchayats / ADCs, including urgency clauses before issue of the notification

Refrences and Limitation (Sec. 64)

Other References to Authority

S.76: Dispute as to apportionment

- No limitation period
- Orally/written/suo-moto
- Discretion of collector to refer to court

S.73(3): Redetermination

- Compensation under protest not required
- Within three months
- Interest applies

S.83(1): Temporary Acquisition-Compensation

S.83(3): Temporary Acquisition-Condition of Land

93. (1) Liberty for Govt to withdraw from the acquisition of any land of which possession has not been taken.

(2) Amount of compensation due for the damage suffered by the owner to be paid

Interest

Section 72: 9% (1st Year) &15% (2nd Year)-ENHANCEMENT

Applicable: Excess amount determined by LARR Authority

Section 80: 9% (1st Year) &15% (2nd Year)-DELAY

Applicable: Compensation Not paid/deposited before possession

Acquisition of land for requiring body